भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई- 400096

******

सं.सीप्ज़-सेज़/एटीएच/एएस-एलटीएल/391/2016-17/ **दिनांक: 18.10.2016**

परिपत्र 12 /2016

एसडीएफ VII के परिसरों, सीप्ज़++ के टॉवर I तथा II, बहुमंजिला भवन (लागत वसूल करके यूनिटों को आबंटित) तथा सीप्ज़-सेज़ के भूखंडों अथवा इसके किसी हिस्से पर स्वनिर्मित कारखानों से संबंधित आशोधित निकासी नीति वेबसाइट www.seepz.gov.in पर अपलोड किया गया है ।

सीप्ज़-सेज़ में स्थान के आबंटन हेतु इच्छुक मौजूदा सीप्ज़ यूनिटों / नए उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । इसके लिए वे **दिनांक 04.11.2016** तक अथवा इसके पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आवेदन की तारीख से 90 दिनों तक प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी । प्राप्त आवेदनों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा यह समिति आशोधित निकासी नीति में विनिर्दिष्ट मानदंडो के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

प्रतीक्षा सूची के 90 दिनों की वैधता अवधि के दौरान उपलब्ध होने वाले परिसर आबंटन के लिए विचारणीय होंगे । यदि आबंटन के लिए कोई परिसर उपलब्ध नहीं होता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से 90 दिनों के बाद प्रतीक्षा सूची समाप्त मानी जाएगी ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संपदा प्रबंधक/ सं.वि.आ.
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

विषयः <u>एसडीईएफ VII के परिसरों के टॉवर ++सीप्ज़ ,। तथा ॥लागत) बहुमंजिला भवन , सेज़ के भूखंडों अथवा इसके किसी हिस्से पर -तथा सीप्ज़ (वसूल करके यूनिटों को आबंटित स्वनिर्मित कारखानों से संबंधित आशोधित निकासी नीति ।</u>

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण ने दिनांक 16.02.2015 को आयोजित अपनी 24 वीं बैठक में एसडीईएफ VII, टॉवर । तथा ॥ बहुमंजिला भवन तथा भुखंडों पर स्वनिर्मित कारखानों के लिए निकासी दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) में आशोधन किया है । संशोधित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन्स) इस प्रकार हैं:-

- उपर्युक्त उल्लिखित कोई यूनिट परिसर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निकासी के लिए आवेदन कर सकता है ।
- जिन आवेदकों का नाम प्रतीक्षा सूची में होगा, उन्हें आशोधित मानदंडों के अनुसार परिसर आबंटित किया जाएगा ।
- यदि प्रतीक्षा सूची में कोई आवेदक का नाम नहीं होगा, तो मौजूदा यूनिटों द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किया जाएगा ।
- प्राधिकरण प्रतीक्षा सूची का क्रम बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आवदेन आमंत्रित करेगा । तथापि, प्रतीक्षा सूची की वैधता 90 दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगी । प्राधिकरण इच्छुक यूनिटों से नई सूची आमंत्रित करेगा ।
- यूनिटधारक के पास अनुमोदन पत्र (एलओए) तथा उप पट्टा करार अवश्य होना चाहिए ।
- सीप्ज़ प्राधिकरण अथवा विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ के साथ यूनिटधारी का कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए ।
- जो यूनिट शेष अवधि के लिए समनुदेश, उप पट्टा चाहता हो, उसे सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को आवेदन देना होगा तथा इसके लिए उसे आबंटन के समय कीमत दर्शाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
- यदि कोई यूनिट अपने अनुमोदित क्रियाकलाप के लिए मौजूदा स्थान का कोई हिस्सा ही चाहता हों तो ऐसे मामले में व्यवहार्यता के अधीन क्षेत्र के शेष भाग के संबंध में ही निकासी की अनुमति दी जा सकती है ।
- आवेदन की जांच करने के पश्चात प्राधिकरण निकासी के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करेगा । तथापि, यदि अन्य एजेन्सियों / प्राधिकारियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे मामले में इन एजेन्सियों / प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके तथा आवेदक की कुल देयता का अभिनिश्चित करने के पश्चात ही "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया जाएगा ।

- विकास आयुक्त से "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्राप्त करने के पश्चात आवेदक सीमा-शुल्क से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा इसके पश्चात डिबॉन्डिंग के लिए आवेदन करेगा ।
- यदि प्राधिकरण अथवा विकास आयुक्त कार्यालय की लंबित देयता अथवा अन्य एजेन्सियों द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण डिबॉन्डिंग संभव न हो तो ऐसे मामले में आवेदक की देयता अभिनिश्चित की जाएगी तथा अन्य एजेन्सियों तथा अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

I. <u>मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया</u>

- आगंता उद्यमी को जैसाकि उपर विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार देयों का उन्मोचन करने के पश्चात आवेदक को सीधे मुआवजे का भुगतान करना होगा ।
- 10% की विभेधक राशि अर्थात मूलतः आबंटित कीमत से कम आगंता उद्यमी द्वारा प्रस्तावित कीमत प्राधिकरण को प्रशासनिक प्रभार के रूप में आगंता उद्यमी द्वारा प्राधिकरण को भुगतान करना होगा । यह राशि उपर्युक्त अन्य देयों के अतिरिक्त होगी ।

II. <u>आबंटन प्रक्रिया</u>

जनता से निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे:-

- निर्यात अनुमान
- प्रकल्पित निवेश
- प्रकल्पित रोजगार
- आरक्षित कीमत से अधिक प्रस्तावित बढ़ौती कीमत
- प्राथमिकता क्षेत्र
- प्राधिकरण द्वारा तत्समय घोषित किया जाने वाला अन्य कोई मानदंड

उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के आधार पर नए उद्यमी का चयन किया जाएगा । तथापि, ऐसे मानदंडों को वरीयता दी जाएगी जो सेज़ अधिनियम तथा नियमों के उद्देश्य के अनुकूल होंगे । इस प्रकार चयन किए गए उद्यमी अनुमोदन पत्र (एलओए) जारी करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) को आवेदन प्रस्तुत करेंगे । अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के पश्चात वे निवर्तमान यूनिट तथा सीप्ज़ प्राधिकरण को भुगतान करेंगे ।

****